



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-27052026-272902
CG-CG-E-27052026-272902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2568]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948

No. 2568]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 25 मई, 2026

का.आ. 2660(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रम.सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	अम्बिकापुर – गढ़वा रोड, रामानुजगंज – बरवाडीह स्पर के साथ सिंगल लाइन (261.838 कि. मी.)

[फा.सं. डी.सी.ई./निर्माण/उत्तर/बिलासपुर/अम्बिकापुर - गढ़वा/ 37ए]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S. E. C. Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 25th May, 2026

S.O. 2660(E).—In exercise of the power conferred by clause (37A) of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following project as mentioned in Column (2) of the table below as Special Project in the state of Chhattisgarh & Jharkhand for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of Project
(1)	(2)
1.	Single Line between Ambikapur – Garhwa Road with spur from Ramanujganj to Barwadih (261.838 Km.)

[F. No.: Dy. CE/Con/North/BSP/ABKP- Garhwa/37A]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Admin. Officer/Con.